साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/16-18

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 8, अंक : 3 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 7 सितंबर 2022 से 13 सितंबर 2022 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

पर्यावरण अपराध में उत्तराखंड नंबर वन, ये है बाकि राज्यों का हाल, NCRB के चौंकाने वाले आंकड़े

देहरादून। पर्यावरण संबंधी अपराधों में उत्तराखंड हिमालयी राज्यों के बीच सबसे ऊपर है। हिमालयी राज्यों में पर्यावरण नियमों का सबसे ज्यादा उल्लंघन उत्तराखंड में हुआ है। इस मामले में वहीं देश भर में राज्य का छठवां स्थान है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट में ये चिंताजनक तथ्य सामने आया है।

एनसीआरबी ने 2021 में देश भर के राज्यों में हुए अपराधों की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार सात अलग अलग कैटेगरी के बीच उत्तराखंड में पर्यावरण संबंधी विभिन्न अधिनियमों में 912 मामले दर्ज किए गए। जबकि इसके बाद हिमाचल 163 विभिन्न अपराध के साथ दूसरे नंबर पर है। 85 मामलों के साथ जम्मू कश्मीर हिमालयी राज्यों में तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा अन्य राज्यों में ऐसे मामले बेहद कम हैं। देश भर की बात करें तो सभी श्रेणियों के कुल मामलों में यूपी 1573 मामलों के साथ चौथे स्थान पर है। जबकि फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के उल्लंघन के मामलों में यूपी देश में नंबर वन पर रहा। जबकि बिहार में कुल 56,दिल्ली में 66 और झारखंड में 272 मामले पर्यावरणीय अपराधों के दर्ज हुए। इन सात श्रेणियों में होता है आंकलन- रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय अपराधों को सात अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। जिसमें फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोक्टक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटर प्रोटेक्शन एक्ट, एयर एंड वाटर पाल्यूशन कंट्रोल एक्ट, सिगरेट व एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, नॉइस पाल्यूशन एक्ट और एनजीटी एक्ट शामिल हैं। इन सभी एक्ट में दर्ज अलग- अलग मामलों की संख्या के आधार पर ओवरआल पर्यावरणीय अपराध आंके जाते हैं। सिगरेट व तंबाकू एक्ट का सबसे ज्यादा उल्लंघन- रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में इन सात कानूनों के तहत सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए। इनकी संख्या 850 है। जबकि यूपी में महज 14 और देश में सबसे ज्यादा उल्लंघन के 46433 मामले तमिलनाडु में आए। यानी सबसे ज्यादा सिगरेट और तंबाकू का सार्वजनिक स्थानों पर सेवन यहीं हुआ। जबकि उत्तराखंड में एफसी एक्ट के 53 मामले आए, तो नौ मामले वाइल्ड लाइफ एक्ट के आए।

क्या है पर्यावरणीय अपराध- पर्यावरण अपराध वो अवैध गतिविधियां हैं जिनसे पर्यावरण को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचता है। इन अवैध गतिविधियों में पर्यावरण, वन्य जीवन, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान शामिल है। इसी को आधार मानकर आंकलन किया जाता है।

खुद जाकर प्लास्टिक कचरे की स्थिति का जायजा लेंगें उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश

शिमला। क्या प्लास्टिक कचरे के संग्रह और निपटान के मामले में अदालती आदेश का पालन हो रहा है, यह जानने के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नैनीताल जिले के धानाचूली गांव का दौरा करेंगें। साथ ही वो यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस आदेश के पालन में क्या बाधा आ रही है।

जानकारी मिली है कि यह विजिट संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के साथ आयोजित की जाएगी। साथ ही इस विजिट में उत्तराखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) के सदस्य सचिव, जिला पंचायत के कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी और हल्द्वानी, ग्राम विकास अधिकारी भी शामिल होंगें। यह यात्रा 8 सितंबर 2022 को दोपहर 02:00 बजे आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि कोर्ट द्वारा धानाचूली गांव का यह दौरा उस जानकारी के बाद लिया गया है जिसमें बताया गया है कि नॉन-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कचरे के संग्रह और निपटान के लिए धरातल पर काम नहीं किया गया है। इस बारे में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की पीठ का कहना है कि राज्य में घूमते हुए उन्हें सड़कों पर बहुत सारा प्लास्टिक कचरा पड़ा हुआ दिखा था।

कार्बन पर अगला कदम

लोकसभा ने मॉनसून सत्र में जो कुछ अंतिम विधेयक पारित किए उनमें से एक था ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2022। इस विधेयक के कई पहलू रुचि जगाते हैं लेकिन संभवत: उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है देश में एक कार्बन बाजार का प्रस्ताव जिसमें उत्सर्जन का कारोबार किया जा सके और उसमें कमी लाई जा सके। खासतौर पर यह कानून केंद्र सरकार को यह इजाजत देगा कि वह कार्बन क्रेडिट के कारोबार की व्यवस्था बना सके और साथ ही यह उसे अधिकार देगा कि वह उत्सर्जन या कार्बन प्रमाणपत्र जारी कर सके जिनका बाद में कारोबार किया जा सकेगा। कार्बन बाजार को ऐसा कानूनी समर्थन काफी देर से आया है। दुनिया भर में पहले ही तीन दर्जन से अधिक उत्सर्जन कारोबार योजनाएं हैं। इन सभी की क्षमताएं और विश्वसनीयता अलग-अलग है। इसमें अमेरिका जैसी रुकावटें भी हैं और इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है क्योंकि अमेरिका संघीय स्तर पर लगातार बुनियादी प्रगतिशील उपाय तक अपनाने में विफल रहा है। भारत ऐसी बाधा बनने वाले देशों में शामिल नहीं हो सकता है और इसकी तमाम वजहें हैं।

एक सक्रिय कार्बन बाजार कम से कम ऐसे कुछ क्षेत्रों में कार्बन का मूल्य तय करता है जहां उत्सर्जन में कमी करना काफी महत्त्वपूर्ण है। यह बात भविष्य की अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं की दृष्टि से भी काफी महत्त्वपूर्ण साबित होने वाली है। कार्बन कारोबार का इस प्रकार अंतरराष्ट्रीयकरण करने की को?शिश की जा रही है ताकि समूची आपूर्ति श्रृंखला को अकार्बनीकृत किया जा सके। अगर ऐसा किसी विधान के द्वारा न भी ?किया जाए तो भी कई बड़े संस्थानों द्वारा ऐसा स्वै?च्छिक आधार पर किया जाएगा तथा जो देश तथा क्षेत्र ऐसा करने में विफल रहेंगे उन्हें प्रतिस्पर्धी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सीमेंट और स्टील जैसे क्षेत्रों से जुड़ी चिंताएं भी ऐसे व्यापक व्यापार समझौतों को रोक सकती हैं जो भारत के हित में हैं। यही कारण है कि मार्च में भारत और यूरोपीय संघ के बीच घो?षित व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद के एजेंडे का एक बड़ा हिस्सा इन क्षेत्रों के साझा मानकों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। भारत चीन को इन क्षेत्रों पर काबिज नहीं होने दे सकता है। हाल के दिनों में उसने अपनी क्षेत्रीय उत्सर्जन कारोबार योजनाओं का विस्तार और एकीकरण किया है। इसका संबंध भारतीय उद्यमी जगत की वर्तमान बाजार हिस्सेदारी का संरक्षण करना नहीं है। ब?ल्कि यह सुनि?श्चित करना है कि भारतीय कंपनियों के पास ऐसे समय में वै?श्विक स्तर पर विकास की गुंजाइश है जब आपूर्ति श्रृंखला में कार्बन की मौजूदगी प्रतिस्पर्धी सफलता का अहम निर्धारक होगा।

बहरहाल, कुछ अहम घरेलू कदम उठाना भी आवश्यक है। सबसे पहले, एक ही उद्देश्य के लिए एक से अ?धिक प्रणालियां नहीं होनी चाहिए। वर्तमान परफॉर्म, अचीव ऐंड ट्रेड (पीएटी) व्यवस्था को किसी भी नयी उत्सर्जन कारोबार प्रणाली में समाहित किया जाना चाहिए। ऐसी किसी भी प्रणाली को पेरिस समझौते के अधीन देश के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अनुरूप किया जाना चाहिए। कार्बन बाजार के नियामकीय सिद्धांत और एक अ?धिकारप्राप्त नियामक की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इसे शुरुआत से ही व्यव?स्थित किया जा सके तथा बाद में डिजाइन होने वाली किसी अंतरराष्ट्रीय योजना में आसानी से शामिल किया जा सके। अंत में, भारत को अपने तकनीकी ज्ञान का भी लाभ लेना चाहिए ताकि यह निर्धारित करने के आधुनिक तरीके निकाले जा सकें कि बाजार प्रतिभागी उत्सर्जन में कमी के अपने वादे पूरे कर सकें। दूसरे शब्दों में कहें तो नियामकों द्वारा कम लागत वाली, तकनीक संपन्न और पारदर्शी निगरानी, रिपोर्टिंग और प्रमाणन की योजना विकसित करने की आवश्यकता है। अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना शेष है।

बाढ़ में बहे पुल के कारण 12 दिन से अलग-थलग पड़ा है गांव जसरथ

जसरथ गांव प्रकृति ने इस बार हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। आजकल एग्जॉटिक और बेमौसमी सब्जियों का सीजन चला हुआ है हमारी सब्जियां भी तैयार हैं, लेकिन इन्हें बाजार तक पहुंचाने के लिए हमारे पास रास्ता ही नहीं है।

हमारे गांव को जोड़ने वाला मुख्य पुल बाढ़ की चपेट में आने से ढह गया है, जिससे अब हमारे गांव के 100 से अधिक किसानों के सामने अपने तैयार उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह कहना है जसरथ गांव के किसान ओम प्रकाश का। जसरथ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का वो सुंदर गांव है, जो बाढ़ की वजह से पिछले 12 दिन से शेष दुनिया से कटा हुआ सा है। दरअसल 18 अगस्त को जहालमा नाले में आई अचानक बाढ़ की वजह से चंद्रभागा नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया और इसकी वजह से इस गांव के किसानों की दर्जनों बीघा जमीन तो बाढ़ की भेंट चढ़ गई, साथ ही इस गांव को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाला इकलौता पुल भी टुट गया। इस पुल के टुटने से इस गांव में रहने वाले 150 से अधिक ग्रामीणों की दुश्वारियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। पुल टूटने के कारण गांव जसरथ के किसान अपनी सब्जियों को बाजार तक पहुंचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जसरथ गांव के किसान ओम प्रकाश डाउन टू अर्थ को बताते हैं कि गांव को जोड़ने का एकमात्र रास्ता यही है। गांव के ज्यादातर लोग खेती-बाड़ी ही करते हैं ऐसे में अब जब सब्जियों का सीजन चालू है। ऐसे में हमें अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के कई किलोमीटर लंबे और जोखिम से भरे रास्ते से गुजरकर जाना पड़ता है। लाहौल पोटेटो समीति के अध्यक्ष सुदर्शन जास्पा का कहना है कि जसरथ गांव के किसानों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। अभी आने वाले समय में आलू और सेब की फसल तैयार हो जाएगी, ऐसे में इन्हें भी बाजार में पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि किसानों और आम जनमानस को राहत पहुंचाने के लिए नए पुल के निर्माण के साथ वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था में तेजी लानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से जो सड़क बनाई जा रही है उसकी निर्माण गति बहुत धीमी है और जिस स्थान से यह सड़क निकाली जा रही है वह भूस्खलन क्षेत्र में आती है जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके अलावा सुदर्शन जास्पा ने कहा कि हमारे क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का असर स्पष्ट देखने को मिल रहे हैं। यहां प्राकृतिक आपदाओं की आवृति कई गुणा बढ़ गई है। इसलिए इस संवेदनशील इलाके पर हो रहे पर्यावरणीय बदलावों को लेकर गहन शोध करवाना अनिवार्य हो गया है ताकि भविष्य की रणनीति तैयार की जा सके। जसरथ गांव वालों ने जिला उपायुक्त को वैकल्पिक झूला पुल का जल्द निर्माण करने और सामान को नदी के पार ले जाने के लिए पुराने स्पैन तार की तुरंत मरम्मत को लेकर 24 अगस्त को मांग पत्र दिया है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आने वाले सप्ताह में स्कूल भी खुलने जा रहे हैं ऐसे में स्कूली बच्चों को स्कूल तक सुरक्षित पहुंचाने का भी इंतजाम किया जाए। गौरतबल है कि लाहौल स्पीति जिले में सर्दियों में भारी बर्फबारी होने के कारण आना-जाना लगभग बंद हो जाता है। ऐसे में यदि समय रहते सर्दियों से पहले इस गांव के लिए सुरक्षित रास्ते की व्यवस्था न की गई तो सर्दियों में इन लोगों के लिए चुनौतियां और अधिक बढ़ जाएंगी।

ग्रीनहाउस गैस और समुद्र का जल स्तर अपने उच्चतम रिकॉर्ड पर पहुंचा- नोआ

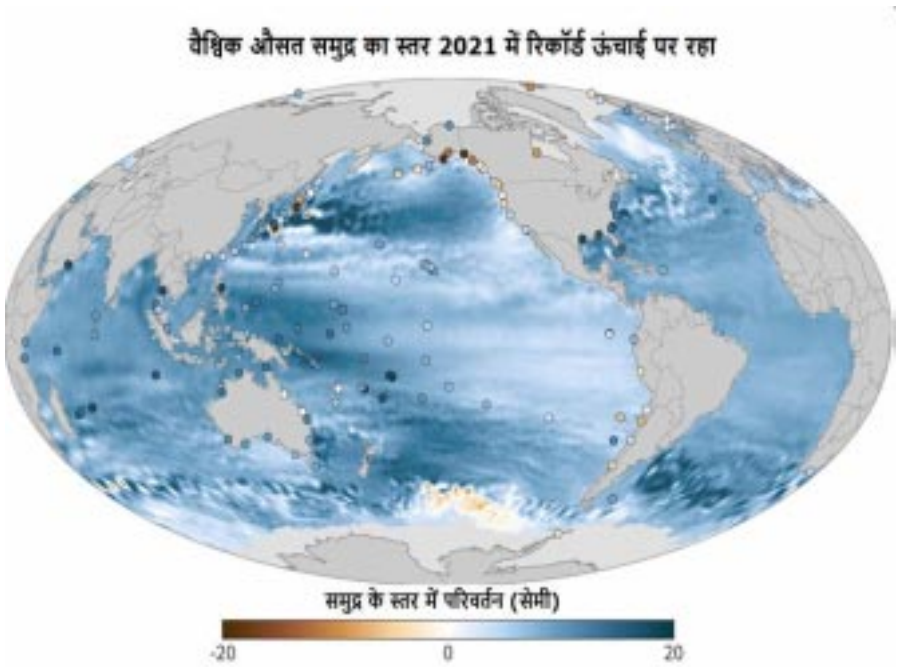

(नोआ) नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन (नोआ) की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रीनहाउस गैसों और समुद्र का स्तर 2021 में नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के नए प्रयासों के बावजूद भी जलवायु में लगातार बदलाव हो रहा है।

नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेटर रिक स्पिनराड ने कहा कि, इस रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट हैं कि जलवायु परिवर्तन का दुनिया भर में प्रभाव पड़ रहा है और इसके धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, कई लोगों को इस साल 1,000 साल में आने वाली भीषण बाढ़ से दो चार होना पड़ा। इस साल भयानक सूखा पड़ा और ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक लोग गर्मी से प्रभावित हुए। इस सब से पता चलता है कि जलवायु संकट केवल भविष्य के लिए ही खतरा नहीं है, हमें आज से ही इसके समाधान ढूढ़ने चाहिए। ग्रीनहाउस गैस के स्तर में वृद्धि पिछले वर्ष जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में ढील देने के कारण हुई है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा कोविड-19 महामारी के कारण तेजी से धीमा पड़ गया है।

ग्रीनहाउस गैसें रिकॉर्ड में सबसे अधिक- नोआ की रिपोर्ट में कहा गया है कि वातावरण में ग्रीनहाउस गैस की मात्रा 2021 में 414.7 भाग प्रति मिलियन थी, जो 2020 की तुलना में 2.3 भाग अधिक है एनुअल स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट के मुताबिक यह स्तर पुरापाषाण काल के रिकॉर्ड के आधार पर कम से कम पिछले करोड़ों वर्षों में सबसे अधिक है।

महासागर की गर्मी और वैश्विक समुद्र का स्तर रिकॉर्ड में सबसे अधिक- समुद्र का स्तर लगातार 10वें वर्ष बढ़ा, जब उपग्रह मापन शुरू हुआ तो 1993 में औसत से 3.8 इंच या 97 मिलीमीटर के एक नए रिकॉर्ड तक पहुंच गया। पिछला वर्ष 19वीं सदी के मध्य के बाद से रिकॉर्ड पर छह सबसे गर्म वर्षों में से एक था, पिछले सात वर्षों में सभी सात सबसे गर्म रिकॉर्ड पर थे। कम औसत तापमान ला नीना के कारण था, प्रशांत क्षेत्र में एक सामयिक घटना जो पानी को ठंडा करती है, जिसकी शुरुआत साल के प्रारम्भ में हुई और फरवरी 2014 के बाद से सबसे ठंडा महीना रहा। लेकिन पानी का तापमान भी रिकॉर्ड में था, विशेष रूप से तिब्बत के झीलों में असाधारण रूप से तापमान अधिक दर्ज किया गया, जो कि एशिया की कई प्रमुख नदियों के लिए जल स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

बढ़ती आपदाएं और भय- रिपोर्ट में कहा गया है कि उष्णकटिबंधीय तूफान, जो कि धरती के गर्म होने के साथ इनके बढ़ने की आशंका बढ़ गई, 2021 में इनमें तेजी से इजाफा हुआ। इनमें तूफान %टाइफून राय% शामिल था, जिसने दिसंबर में फिलीपींस में लगभग 400 लोगों की जान ले ली थी। इडा, जो कैटरीना के बाद लुइसियाना में लोगों को मारने वाला दूसरा सबसे खतरनाक तूफान बनने से पहले कैरिबियन में कहर ढा रहा था। रिपोर्ट में अन्य असाधारण घटनाओं में, जापान के क्योटो में चेरी के पेड़ रहे जिनका 1409 के बाद समय से काफी पहले खिलने की घटना का भी जिक्र किया गया है। जंगल में आग लगने की घटनाएं, जिनके जलवायु परिवर्तन के कारण भी बढ़ने के आसार हैं, हाल के वर्षों के बाद तुलनात्मक रूप से कम थी, हालांकि अमेरिकी पश्चिम और साइबेरिया दोनों में विनाशकारी आग देखी गई थी। 2021 की यह रिपोर्ट एक अध्ययन के कुछ दिनों बाद आई है जिसमें कहा गया है कि ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर पहले से ही खतरनाक स्तरों पर पिघलने लगी है, यहां तक ??कि भविष्य में बिना किसी गर्मी के यह समुद्र स्तर को बढ़ा देगी, जिससे दुनिया भर के निचले इलाकों में रहने वाले सैकड़ों लाखों लोगों के घरों के पानी में समा जाने के आसार हैं। जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए पूर्व-औद्योगिक स्तरों से ऊपर तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की आकांक्षा के लिए 2015 में पेरिस जलवायु समझौते द्वारा निर्धारित किया गया था, जो कि सीमा से बहुत दूर है।

क्या जलवायु में आते बदलावों का आईना है पाकिस्तान में आई बाढ़?

लाहौर। पाकिस्तान में बाढ़ ने इस तरह कहर बरसाया है कि वहां जन-जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ में तीन-चौथाई जिले प्रभावित हैं। इस बाढ़ ने वहां रहने वाले 3.3 करोड़ लोगों के जीवन पर असर डाला है, जबकि 64 लाख लोगों को तुरंत मदद की जरूरत है।

पाकिस्तान सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बाढ़ को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। वहीं 66 जिलों को भी आपदा प्रभावित घोषित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बाढ़ में अब तक 1,100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें 350 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं 1,600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 2.87 लाख से ज्यादा घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। बर्बादी का आंकड़ा सिर्फ इतना ही नहीं है। इस बाढ़ में अब तक 7.35 लाख मवेशी मारे जा चुके हैं। वहीं 20 लाख एकड़ में फैली फसलों को नुकसान पहुंचा है। इस बारे में डब्ल्यूएचओ द्वारा साझा जानकारी से पता चला है कि पाकिस्तान में मध्य जुलाई से शुरू हुई भारी मानसूनी बारिश का कहर अब भी देश के कई हिस्सों में जारी है। बाढ़ ने पाकिस्तान के 154 में से 116 जिलों को प्रभावित किया है। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित प्रांत सिंध है, उसके बाद बलूचिस्तान में भारी तबाही की जानकारी मिली है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के अनुसार पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध प्रांतों में पिछले तीन दशकों की औसत वर्षा चार गुना से ज्यादा हो गई है। हालात यह हैं कि करीब 4.21 लाख लोगों को अपने ही देश में शरणार्थी बनना पड़ा है। अधिकारियों का अनुमान है कि बाढ़ से करीब 80 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है और इससे उबरने में पाकिस्तान को बरसों लग जाएंगें। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक इस बाढ़ से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई है। 28 अगस्त, 2022 तक, देश में 900 स्वास्थ्य सुविधाओं को बाढ़ से नुकसान पहुंचा है, जबकि 180 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ऐसे में कोरोना, हैजा, टाइफाइड, खसरा और पोलियो जैसी बीमारियों के खतरों से जूझ रही स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए स्थिति कहीं ज्यादा संगीन हो गई है।

वहीं यूनिसेफ के अनुसार बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में 30 लाख से ज्यादा बच्चों को मानवीय सहायता की जरुरत है, क्योंकि बाढ़ के साथ-साथ वहां बीमारियों और कुपोषण का खतरा भी काफी बढ़ गया है। इतना ही नहीं जानकारी मिली है कि हजारों स्कूलों के क्षतिग्रस्त होने के साथ शिक्षा के बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। आशंका है कि आने वाले दिनों में स्थिति बद से बदतर हो सकती है क्योंकि पहले से ही जलमग्न क्षेत्रों में भारी बारिश का कहर अब भी जारी है। इन क्षेत्रों में पहले ही कुपोषण का स्तर काफी ऊंचा है। ऊपर से पानी और स्वच्छता की कमी बड़ी समस्या पैदा कर रही है। बाढ़ से दवाएं नष्ट हो गई हैं और स्वास्थ्य कर्मी बेघर हो गए हैं। ऐसे में हैजा जैसी बीमारियों का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ गया है।

सर्दियों में न घुटे दिल्लीवालों का दम, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कल बनाएंगे एक्शन प्लान

नई दिल्ली. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सोमवार को एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए 15 सूत्री शीत कार्य योजना के तहत विभागवार जिम्मेदारियों पर चर्चा होगी. अधिकारियों ने कहा कि मंत्री 'संबंधित विभागों को विशेष कार्य सौंपेंगे, जिन्हें एक विशेष स्त्रोत से वायु प्रदूषण को रोकने पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी'.

पर्यावरण विभाग सर्दियों के मौसम में प्रदूषण को कम करने के उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा. इस कार्य योजना में पराली प्रबंधन, धूल प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाले धुएं, खुले में कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, ग्रीन वॉर रूम और हरित दिल्ली ऐप्लीकेशन, प्रदूषण हॉटस्पॉट, स्मॉग टॉवर, ई-कचरा पार्क, वृक्षारोपण, ईको-फार्मिंग, जनभागीदारी, पटाखों और पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. सोमवार को होने वाली बैठक में संबंधित 33 विभागों के साथ सभी कार्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. बैठक में संशोधित 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (जीआरएपी) के क्रियान्वयन पर भी मंथन होगा. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुसार, संशोधित जीआरएपी (हालात की गंभीरता के अनुसार दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण रोधी कई कदम) सामान्य तिथि से 15 दिन पहले एक अक्टूबर से लागू होगा.

अब गोमती को कचरे से निजात दिलाएगी रोबोटिक बोट, जानें कैसे खर्च भी बचेगा, समय भी

लखनऊ. आखिरकार लंबे वक्त बाद गोमती नदी की सफाई का अभियान शुरू हो ही गया. इस बार आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई रोबोटिक बोट गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाएगी, जिसको लेकर नगर निगम का आईआईटी कानपुर के साथ समझौता हुआ है. इस रोबोटिक बोट का ट्रायल भी हो चुका है और यह रोबोटिक बोट सौर ऊर्जा से चलेगी. यह बोट 1 घंटे में 2 क्विंटल कचरा गोमती नदी से निकाल कर बाहर कर देगी. इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, जो गोमती नदी की सतह पर पड़े हुए कचरे को आसानी से ट्रेस कर लेगा और उसे बाहर निकालने में मदद करेगा.

इस बोट का जो स्टोरेज होगा वह 200 किलोग्राम है लेकिन भविष्य में इसका स्टोरेज 1000 किलोग्राम तक बढ़ाया जाएगा. इस रोबोटिक बोट को मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है. मंडल आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने इसका स्टोरेज बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं. अभी करीब 1 महीने तक इसका ट्रायल चलेगा इसके बाद नगर निगम को यह बोट सौंप दी जाएगी. नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि यह बोट आईआईटी कानपुर की ओर से बनाई गई है. इस बोट के जरिए कम लागत में गोमती नदी कोसाफ किया जा सकेगा. पहले जब सफाई होती थी तो उसमें डीजल ज्यादा खर्च होता था जिस वजह से सफाई में बहुत खर्चा आता था साथ ही काफी समय भी लगता था. रोबोटिक बोट सौर ऊर्जा से चलेगी जो कम खर्च में जल्दी सफाई करेगी. साथ ही इस बोट को एक व्यक्ति बड़े आराम से नदी के किनारे बैठकर कंट्रोल कर सकता है. सफल ट्रायल के बाद 1 महीने के अंदर ही यह बोट हमारे पास आ जाएगी.

छात्र ने वायु प्रदूषण पर मांगा 15 लाख मुआवजा और 25 लाख का बीमा

नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कानून के एक छात्र की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वायु प्रदूषण के कारण 15 लाख रुपये का मुआवजा और 25 लाख रुपये का चिकित्सा बीमा देने का आग्रह किया गया था. न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने याचिकाकर्ता से कहा कि अदालत एक गंभीर जगह है और याचिका दायर करना उसके 'रिज्यूम' का साधन नहीं है.

अदालत ने यह भी कहा कि प्रदूषण के कारण याचिकाकर्ता को हुए किसी भी नुकसान को साबित करने के लिए रिकॉर्ड में कोई सामग्री नहीं है. अदालत ने याचिका खारिज करते हुए एलएलएम के छात्र शिवम पांडेय से कहा- 'अदालत एक गंभीर जगह है और याचिका दायर करना आपके 'रिज्यूम' या सीवी का साधन नहीं है. अगली बार से कोई गंभीर मुद्दा उठाएं, आपका स्वागत है.' गौरतलब है कि एलएलएम के छात्र शिवम पांडेय ने वायु पदूषण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. छात्र शिवम पांडेय का कहना था कि वायु प्रदूषण से उनकी सेहत बिगड़ी है. इसके कारण 15 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए. इसके साथ ही 25 लाख रुपये का चिकित्सा बीमा देने का आग्रह भी याचिका में किया गया था. दरअसल दिल्ली में वायु प्रदूषण काफी अधिक है. भारी ट्रैफिक, धुंआ और वायु प्रदूषण को लेकर कई बार चेतावनी भी जारी की जा चुकी हैं. इसी को लेकर कई बार लोग पर्यावरण को लेकर आवाज उठाते रहते हैं. प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर चर्चाएं भी हो चुकी हैं और इसी बीच छात्र ने अदालत में याचिका दाखिल कर मुआबजा और बीमा दिए जाने की अपील की, जिसे खारिज कर दिया गया.

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008